न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. विविध प्रार्थना पत्र संख्या 77 / 2017

श्री सीमेन्ट लिमिटेड

.......*प्रार्थी*

बनाम

श्री अली व अन्य

........*अप्रार्थीगण*

2. विविध प्रार्थना पत्र संख्या 78 / 2017

श्री सीमेन्ट लिमिटेड

.......*प्रार्थी*

बनाम

मुस्मात बन्नी व अन्य

........*अप्रार्थीगण*

अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित
धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–

1. श्री लोकेन्द्र सिंह रानावत, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 26.07.2017

उपरोक्त दोनों ही प्रार्थना पत्रों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों को खनान कार्य हेतु अवाप्त कर भूमि का मुआवजा निर्धारण कर अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार कार्यवांही प्रारंभ की गई, किन्तु दिनांक 20.05.2016 को प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी, विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जो माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

दिनांक 20.05.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उन्होंने कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से श्री श्रीनिवास बेनीवाल को अभिभाषक नियुक्त कर रखा था, जो माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2016 को वरवक्त लगाये जाने आवाज पर उपस्थित नहीं हुए इसी कारण प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक ने उन्हें यह आश्वासन दे रखा था कि उसकों प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी इतला कर देगे इस आश्वासन के कारण प्रार्थी उपरोक्त दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थी के अनुपस्थित रहने का कारण सद्भाविक है तथा अभिभाषक की गलती का खामियाजा प्रार्थी को नही भुगताया जा सकता चूंकि प्रकरण बहस हेतु पूर्ण है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 को निरंस्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर निर्णित किय जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों का विरोध करते हुए पैरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढ़त है। प्रकरण बहस की स्थिति में नही था तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनेक खामिया होने के साथ ही प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को न्याय हित में मृतकों के वारिसान को रेकार्ड पर लेने बाबत् कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी द्वारा लगभग 8 वर्षो तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मृत व्यक्तियों के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई दावा अथवा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1992 पेज 99 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार ऐबिनिशियों वाईड होने से निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनेक खामिया थी यथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अनेक पक्षकारान की मृत्यु हो चुकी थी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि के सहखातेदारान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था। इसके बावजूद न्यायालय द्वारा उन्हें कायम मुकाम की कार्यवाही एवं कमीपूर्ति हेतु लगभग 8 वर्ष का समय दिया गया किन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तथा प्रार्थी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे मृतकों के जायन्दा विधिक वारिसों को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से 90 दिवस की अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 26.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2020.03.17 11:07:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: